सरदारमल बनाम बीनादेवी

अस्थाई निषेधाज्ञा क्र.सं. 2...

16-5-25 वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस हेतु अवसर चाहते है। प्रार्थी के निवेदन पर बहस हेतु अवसर दिया जाता है। भविष्य में अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19-05-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

19.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22.5.25 को पेश हो।

22.05.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र टी.आई. में अन्तिम बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

09.06.2025 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् [illegible] जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार-[illegible] दोहराते हुए अवगत करा[illegible] कि प्रार्थी द्वारा एक वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी इस आशय का पेश किया है कि वादग्रस्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)	नम्बर व तारी[illegible]
सरदार मल बनाम [illegible]	अहकाम जो [illegible]
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	हुक्म की ता[illegible]
प्रा०पत्र संख्या [illegible] 28/2020	में जारी हुए

[illegible] खसरा नम्बर 3287, 3288, 3289, 3290 कुल किता 4 कुल रकबा 2.33 हैक्टर तन ग्राम गुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीया नं. 1 का पति व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का पिता स्व0 सुरजमल आपस में मित्र थे जो आपसी सम्बन्धों के चलते रुपये पैसे का लेनदेन करते रहते थे और आपस में परस्पर दोनों के बीच मधुर सम्बन्ध चले आ रहे थे। जिसके तहत आपस में तय किया कि उक्त भूमियों का क्रय कर पंजीयन लेख 1/8 हिस्से का प्रार्थी के नाम व 1/8 हिस्सा का अप्रार्थीगण के पिता व पति के नाम करवाकर सम्पूर्ण क्रय राशि प्रार्थी देकर सम्पूर्ण 1/4 हिस्से पर प्रार्थी ही काबिज रहेगा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/पति स्व0 सुरजमल उक्त भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल राशि 6,29,453/- रूप्ये का 1/2 हिस्सा 3,14,726/- मय ब्याज दे देगा और प्रार्थी से कब्जा ले लेगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व पति ने दिनांक 10.12.2014 को उक्त भूमियों का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा क्रय कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया और उक्त भूमियां पर तारबन्दी कर पेड पौधे लगाकर मकानात बनाकर काबिल काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/पति काफी कर्ज में डूबने के कारण उक्त भूमियों के क्रय पेटे दी गई राशि 3,14,726/- मय ब्याज अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/पति स्व0 सुरजमल से मांग की गई तो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए जल्दी ही उक्त भूमियों का विक्रय पंजीयन लेख प्रार्थी के हक में करवाने बाबत कहा। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 के पिता/पति ने उक्त भूमियों के क्रय राशि के अलावा और कर्ज उधार लिया था और आज तक वापिस नहीं लौटाया। दिनांक 02.06.2019 को अप्रार्थीगण [illegible] ता 4 का पिता व पति स्व0 सुरजमल [illegible] होने के कारण लोगों को कर्जा वापस [illegible] अपने किसी पारिवारिक कलह या अन्य किसी कारण से आत[illegible]या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अप्रार्थीया नम्बर 1 ने षडयंत्र रचकर प्रार्थी के खिलाफ उक्त जमीन हडपने के आशय से प्रार्थी पर अनावश्यक तनाव एंव दबाव बनाने के लिए प्रार्थी के खिलाफ पुलिस

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

[illegible]

थाना [illegible] में एफ.आई.आर. नम्बर 533/19 धारा 306 आई.पी.सी. में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें बाद पुलिस अनुसंधान पुलिस ने मामला झूठा पाया जाकर एफ.आर. नम्बर 174/19 पेश कर निस्तारण किया गया। उक्त अनुसंधान में पुलिस ने प्रार्थी के रूपयों का लेन-देन होना एवं अप्रार्थीया नम्बर 1 ने एफ.आई.आर. में स्वयं ने माना है कि प्रार्थी से स्वर्गीय सुरजमल ने रूपये उधार ले रखे थे। अप्रार्थीया न. 1 काफी चालाक किस्म की महिला है जो अपने सहयोगियों से मिलकर प्रार्थी को हैरान परेशान कर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहती है। जिसका अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि का नामान्तकरण खुलवाकर बिना किसी हक अधिकार के उक्त भूमियों पर ताकत के बल पर कब्जा कर अवैध रूप से अन्य किसी दीगर व्यक्ति को बैचान करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। जमीनों की बढती कीमतों के कारण अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई एंव अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये। इसलिए अप्रार्थीगण की उक्त गलत, अवैध, विधि विरूद्ध मनमानी कार्यवाही को प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त बखूबी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

वहीं दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि वादग्रस्त कृषि भूमियों [illegible] की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के [illegible] सहाय ने भूमि के खातेदार [illegible] सिंह राजपूत निवासी [illegible] से जरिये इकरारनामा लेख दिनांक [illegible].08.2014 से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं उक्त भूमि की प्रतिफल राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पति-पिता सुरजमल ने अदा की थी। पूर्व में उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का पति-पिता सुरजमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:?7:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सूरजमल बनाम कैलादेवी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रा० पत्र अस्थाई नि० मु.नं. 28/2020	

हैसी काबिज काश्त था एंव उसकी मृत्यु उपरांत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पति-पिता सजातीय बन्धु होने एंव दोनों के आपस में घनिष्ट मित्रता होने एंव प्रार्थी काफी चालाक किरम का व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी ने चालाकी से भूमि का रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांक 10.12.2014 को उप पंजीयक कार्यालय में तस्दीक व पंजीबद्ध करवाया गया। उसमें अपना नाम केता के बतौर अंकित करवा लिया एंव विकय लेख के आधार पर प्रार्थी का नाम भूमि में दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अदा नहीं किया है। प्रार्थी ने उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि को नाजायज तरीके से हडपने के लिए झूंठा पेश किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3287, 3288, 3289, 3290 कुल किता 4 कुल रकबा 2.3300 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में अप्रार्थीगण–उत्तरदाता 1/4 हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है एंव इनसे पूर्व इनके पिता–पति सुरजमल काबिज काश्त चले आ रहे थे। उक्त भूमि से प्रार्थी का कोई संबध या सरोकार नहीं हैं इसलिए उक्त 1/4 हिस्सा की भूमि का अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण उत्तरदातागण के कब्जा काश्त एंव काश्त कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने एंव मजाहमत पैदा करने का कोई अधिकार किसी किरम का नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण उत्तरदाता प्रार्थी को कोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अधिकारी होने से प्रार्थी को कोस टी.आई. से पाबन्द किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 की जमाबंदी, खसरा नक्शा ट्रेस, रजिस्टर्ड विकय लेख

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible]
	दिनांकित 10.12.2014 की फोटोप्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3287, 3288, 3289, 3290 कुल किता 4 कुल रकबा 2.3300 हैक्टर वाके ग्राम गुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी पूर्व में सुरजमल पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/8 जाति माली व सरदार मल पुत्र चेताराम हिस्सा 1/8 जाति माली के नाम व अन्य खातेदारान् के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना व सुरजमल पुत्र हनुमान सहाय के फौत होने पर सुरजमल के वारिसान् किरण पुत्री सुरजमल, ज्योति पुत्री सुरजमल, बीना देवी पत्नि स्व0 सुरजमल, समीर पुत्र सुरजमल के नाम नामान्तकरण प्रक्रियाधीन होना प्रकट होता है। उक्त भूमि के खातेदार महाल सिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत के द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बैचान सुरजमल पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/8 जाति माली व सरदार मल पुत्र चेताराम हिस्सा 1/8 जाति माली निवासीगण लिसाडिया को रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा किये जाने पर खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पति-पिता के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को अपने पिता सुरजमल सैनी से जरिये विरासतन प्राप्त होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैत्रृक भूमि होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है। जहॉ तक रजिस्टर्ड विक्रय लेख में प्रतिफल सम्पूर्ण राशि का भुगतान प्रार्थी ने अपने द्वारा किये जाने पर सम्पूर्ण भूमि का कब्जा लिया जाना अंकित किया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का पति/पिता स्व0 सुरजमल द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि में 1/2 हिस्सा राशि मय ब्याज प्रार्थी को देकर प्रार्थी से कब्जा लेने का प्रश्न है तो वह उनके द्वारा अपने पक्ष में तस्दीक करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख में इस बाबत कोई अंकन नहीं किया गया है। विक्रय लेख में प्रतिफल राशि [illegible] सम्पूर्ण विक्रेता ने उक्त क्रेतागणों से नगद [illegible] ऐसी स्थिति में क्रयशुदा भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल राशि [illegible] उक्त दोनों क्रेतागणों अर्थात प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/पति स्व0 सुरजमल के द्वारा भुगतान किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त कथन के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत का अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख आहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

दस्तावेजात् पेश नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/पति के द्वारा उक्त विक्रयलेख मे किसी प्रकार के प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध ईकरारनामा लेख दिनांकित 28.08.2014 जो विक्रेता महालसिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डरू द्वारा केता सुरजमल सैनी पुत्र हनुमान सहाय जाति माली निवासी झोटवाडा जयपुर के पक्ष मे ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 3287, 3288, 3289, 3290, 3666 कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 हैक्टर के हिस्सा 1/4 भाग भूमि का बैचान किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त ईकरारनामा उक्त तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 10.12.2014 से पूर्व का ही निष्पादित करवाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र टी0 आई0 में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रमाण/दस्तावेजात् पेश नहीं किये गये है। जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टी.आई. एंव काउण्टर प्रार्थना पत्र टी.आई. में वर्णित कथनों को बल मिलता हो। जहाँ तक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने अपने पिता/पति स्व0 सुरजमल सैनी के द्वारा अपने पक्ष में उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों के 1/4 हिस्से का ईकरारनामा लेख अपने पक्ष में निष्पादित करवाया जाना अंकित किया है तो इस ईकरारनामा लेख की पालना हेतु अप्रार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है। ईकरारनामा लेख की पालना हेतु सक्षम सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों के 1/4 हिस्सा ... संख्या 1 ता 4 के पिता/पति के नाम दर्ज राज... होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों के 1/... संख्या 1 ता 4 का हित निहित होना प्रथम दृष्टया प्र... होता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का प्रथम दृष्टया हित निहित होने से उनके हक अधिकार सम्बन्धित दावें में ही तय होने है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश पत्र [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र अस्थाई नि. [illegible]
	दोनों के ही पक्ष मे पाये जाने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कोरा टी.आई. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र कोरा टी. आई. को अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.06.2020 को खारिज कर अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक [illegible]2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)